भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3344
उत्तर देने की तारीखः 24.03.2021

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के नए प्रावधान

3344. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नए प्रावधानों के कार्यान्वयन के बाद अत्याचार की घटनाएं कम हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या यह भी सच है कि शिक्षण संस्थाओं में भी अधिनियम के नए प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है और उच्च शिक्षण संस्थानों में अत्याचार की घटनाएं कम हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन अधिनियम), अधिनियम, 2015 के माध्यम से संशोधन किया गया है और दिनांक 26.01.2016 से लागू किया गया है।

पीओए अधिनियम में दिनांक 20.08.2018 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा पुनः संशोधन किया गया है ताकि प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच करने अथवा आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले किसी प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने को समाप्त किया जा सके।

एससी और एसटी सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार अपराधों से संबंधित आईपीसी के संयोजन में पीओए अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या का वर्ष-वार रिकार्ड नीचे दिया गया है:

वर्ष	एसटी/एसटी सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार अपराधों से संबंधित आईपीसी के संयोजन में पीओए अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या		
	एससी	एसटी	कुल
2015	38564	6275	44839
2016	40774	6564	47338
2017	42969	7125	50094
2018	38327	6178	44505
2019	41793	7815	49608

उपर्युक्त सारणी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पीओए अधिनियम, 1989 के नए उपबंधों को शामिल करने के बाद दर्ज अत्याचार के मामलों की संख्या में उतार-चढ़ाव आया है और दर्ज मामलों में वृद्धि या कमी नियमित नहीं है।

(ख) चूंकि "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची II) के तहत राज्य के विषय हैं और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों सहित उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी अपराधों के निवारण, अभिज्ञान, पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन के लिए और साथ ही पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए भी प्राथमिकतः जिम्मेदार हैं। इससे संबंधित ब्यौरा केंद्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

****